**Smuggling through Samjhauta Express train**

2153. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have made any inquiry into the allegations that Samjhauta Express has become a centre of smuggling and a number of spies from Pakistan and Afghanistan are coming to India by this train; and

(b) if so, what are the conclusions thereof and what steps are being taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT): (a) and (b) Yes, Sir. The enquiry conducted in this regard had indicated seizure of certain goods like exposed film rolls, cotton/silk cloth, ladies suits, small arms ammunition and acetic powder etc. by the Customs Authorities. A well laid checking system has been installed at Police Check Post, Attari Rail, with the help of computer to prevent entry of persons travelling on the basis of doubtful documents.

**भारतीय जनता पार्टी के नेता की हत्या का षड्यंत्र**

2154. **श्री राघवजी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 30 जून, 1994 को जम्मू में एक आतंकवादी को पकड़ा गया जिसने स्वीकार किया कि उसने श्री अटल बिहारी वजपेयी को हत्या को योजना बनाई थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अभी तक इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं; और

(ग) श्री वाजपेयी की जम्मू यात्रा के दौरान क्या सुरक्षा प्रबंध किए गए थे; क्या यह भी सच है कि रेलगाड़ी के जिस कोच में श्री वाजपेयी ने दिल्ली से जम्मू तक यात्रा की उसमें उनकी सुरक्षा के लिए एक भी कमांडो तैनात नहीं किया गया था; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) :** (क) से (ग) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

**श्रीराम फर्म के साथ आतंकवादियों के संबंध**

2155. **श्री महेश्वर सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 जून, 1994 के "इकनामिक टाइम्स" के दिल्ली अंक में "श्री राम फर्म्स टेररिस्ट लिंक बींडिंग प्रोब्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) :** (क) और (ग) सरकार ने समाचार को देखा है । पंजाब पुलिस ने एक कार से 50 लाख रुपए की भारतीय मुद्रा तथा कुछ दस्तावेज जब्त किए हैं । पंजाब पुलिस ने, मामले को प्रवर्तन निदेशालय को सौंप दिया है । प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई जांच पड़तालों से पता चलता है कि सर्व श्री प्रेम प्रकाश, मैसर्स मदन मोहनलाल, श्री राम (प्रा.) लिमिटेड के जे.पी. गुप्ता ने दिल्ली के मुन्नालाल खंडेलवाल तथा जिला होशियारपुर (पंजाब) के दीपचन्द, सरम सिंह तथा कपिल दत्त बाली के साथ मिलकर विदेशों में रह रहे व्यक्तियों के इशारे पर क्षतिपूर्ति भुगतान करके विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 के प्रावधानों के उल्लंघन में संलिप्त थे । सभी संबद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कोफेपोसा के अन्तर्गत नजरबंदी आदेश जारी किए गए हैं । प्रवर्तन निदेशालय ने बहुत से लोगों के बयान दर्ज किए हैं और श्री कपिल दत्त बाली के निवास से दस्तावेज